आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Co-operation, Marketing and Textiles Department, Government of Maharashtra (Directorate of Sericulture, Nagpur)

Shed Subsidy for Automatic Reeling, Multi-end Reeling and Twisting Units (Textile Policy 2023-28)

यह महाराष्ट्र की राज्य योजना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 के तहत है। रेशम के कोये से धागा बनाने वाली स्वचालित रीलिंग, मल्टी-एंड रीलिंग या ट्विस्टिंग मशीनों के शेड के निर्माण पर यह अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

अनुदान शेड के निर्माण खर्च का DSR दर से 50 प्रतिशत या तय सीमा, जो भी कम हो, मिलता है। सीमा 10,000 वर्ग फुट के स्वचालित रीलिंग शेड के लिए Rs 40 लाख, 6,000 वर्ग फुट के लिए Rs 20 लाख और 4,000 वर्ग फुट के लिए Rs 15 लाख है। 1,500 वर्ग फुट के मल्टी-एंड रीलिंग शेड को Rs 3 लाख तक और 3,000 वर्ग फुट के ट्विस्टिंग मशीन शेड को Rs 6 लाख तक मिलता है।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के रेशम उद्योग में स्वचालित रीलिंग, मल्टी-एंड रीलिंग या ट्विस्टिंग यूनिट लगाने वाले व्यक्ति, कंपनियां, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और गैर-सरकारी संगठन।

मुख्य शर्तें

- व्यक्ति, कंपनियां, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और गैर-सरकारी संगठन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को रीलिंग या ट्विस्टिंग मशीनरी अपनी निधि से लगानी होगी, या वह सिल्क समग्र-2 के तहत पात्र लाभार्थी होना चाहिए जो मशीनरी लगाता है।
- व्यक्तिगत आवेदक को केंद्रीय रेशम बोर्ड से स्वचालित रीलिंग मशीन चलाने का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। कंपनी, संस्था, समूह या एनजीओ को अपने अधिकृत प्रतिनिधि को प्रशिक्षण दिलाना होगा।
- प्रस्तावों के लिए उपलब्ध राशि से ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है और बाकी प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित प्रपत्र-1 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन अपने जिला रेशम कार्यालय में जमा करें। हर घटक के लिए अलग आवेदन करना होगा।
2. रेशम विकास अधिकारी आवेदन की जांच कर उसे रेशम संचालक, नागपुर की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति को भेजते हैं, जो लाभार्थियों का चयन करती है।
3. चयनित आवेदक को निर्धारित प्रपत्र-2 में मंजूरी पत्र मिलता है।
4. शेड और मशीनरी तैयार होने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट और रेशम धागा बनाने का प्रमाण जिला कार्यालय के जरिए रेशम संचालक को जाता है। अनुदान आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा होता है, या कर्ज लिया हो तो बैंक को दिया जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae/uploads/2024/08/20240803377773970.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-silk-reeling-shed-subsidy/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।